उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा अनुभाग–6
सं0 2907/79–6–2007
लखनऊ: दिनांक: 31 अक्टूबर, 2007

मध्यान्ह भोजन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सुझाव/परामर्श आदि प्रदान करने के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 की अध्यक्षता में सलाहकार समिति के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस समिति में निम्न सदस्य होगें:–

1.	प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0	अध्यक्ष
2.	निदेशक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0	सदस्य, सचिव
3.	सुश्री रूप रेखा वर्मा, पूर्व कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ।	सदस्य
4.	श्री बलबीर सिंह, निदेशक क्षेत्रीय खाद्य एवं पोषण बोर्ड लखनऊ	सदस्य
5.	प्रोफेसर सुकुमार नंदी (विभाग–व्यापार एवं प्रबन्धन), भारतीय प्रबन्ध संस्थान लखनऊ	सदस्य
6.	डा0 शीला वीर, न्यूट्रेशन एक्सपर्ट, प्रोजेक्ट आफीसर यूनीसेफ, लखनऊ	सदस्य
7.	डा0 वी0के0 श्रीवास्तव, स्टेट न्यूट्रीशन रिसोर्स सेन्टर, छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।	सदस्य
8.	श्री उमा शंकर पाण्डेय, समाज सेवी, लखनऊ	सदस्य
9.	सुश्री मंजरी मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, टाइम्स ऑफ इण्डिया	सदस्य

सलाहकार समिति की बैठक प्रत्येक दो माह में एक बार आयोजित की जाएगी। उपरोक्त सलाहकार समिति के सदस्य मध्यान्ह भोजन योजना के संबंध में नीति विषयक, गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी करने एवं अनुश्रवण संबंधी सुझाव समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे।

प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता निदेशक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 द्वारा की जाएगी।

ह0
(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 2907(1)/79–6–2007 तद्दिनांक.

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0।
3. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सुश्री रेखा वर्मा, पूर्व कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. श्री बलबीर सिंह, निदेशक क्षेत्रीय खाद्य एवं पोषण बोर्ड लखनऊ।
6. डा0 शीला वीर, न्यूट्रेशन एक्सपर्ट, प्रोजेक्ट आफीसर,यूनीसेफ, लखनऊ।
7. डा0 वी0के0 श्रीवास्तव, स्टेट न्यूट्रीशन रिसोर्स सेन्टर, छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
8. श्री एल0पी0 पाण्डेय, सेवा–निवृत्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
9. श्री सन्दीप पाण्डेय, समाज सेवी, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

ह0

(आर0सी0 घिल्डियाल)

संयुक्त सचिव।